न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 924/2019

अनवान : –

1. गीता पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादीया**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. राधा पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. देवकी पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. सन्तो पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी 1**

निर्णय **दिनांकः** 22/05/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार जो मिताक्षरा हिन्दु विधि से शासित है तथा उपरोक्त सयुक्त हिन्दु खानदान की पैतृक कृषि भूमि वादिया के दादा बस्ती जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर क समय की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 तीनो का पैदायशी हक बाई बर्थ राईट है।

उपरोक्त सयुक्त हिन्दु खानदान की पैतृक कृषि भूमि वादिया के दादा बस्ती जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर फौत होने के पश्चात वादिया के पिता गोपालराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर के नाम बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार गलत दर्ज हो गई तथा उक्त भूमि के वादिया व प्रतिवदीगण संख्या 1 ता 3 वारो अपने पिता गोपालराम के जीवन काल में ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हुये तथा गोपालराम के फौत होन के पश्चात उसके 1/5 हिस्सा में वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पाचो हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए तथा उपरोक्तानुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि वादिया के दादा बस्त के फौत होने पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने कतई गलत समस्त वादग्रस्त भूमि में अपने नाम 1/2 हिस्सा व मृतक गोपाल पुत्र बस्ती के नाम गलत दर्ज करवाली जिसका वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को कोई ज्ञान नही था तथा ना ही उन्हं सुना गया तथा ना ही पक्ष [illegible] गया था तथा जिस आदेश व निर्णय के तहत वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी [illegible] दर्ज हुई उससे वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के [illegible] विहीन है ती काबिल [illegible]ती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 77/82 के प.न. 0 के किला 100/28 की 0.0510 हैक्ट, गै.मु. रास्ता मु० 166 के किला न0 21 की 0. 2530 हैक्टेयर 22 की 0.2530 हैक्टेयर, 5/16/2026, प.न. 392/409 मु०–10 167 के किला न 1 की 0.2280 हैक्टेयर 2 की 0.2280 हैक्टेयर 3 की 2270 हैक्टेयर 4 की 0.2270 हैक्टेयर 5 की 0.2280 हैक्टेयर 7 की 0.2530 हैक्टेयर 8 की 0.2530 हैक्टेयर 9 की 0.2530 हैक्टेयर 10 की 0.2530 हैक्टेयर प.न. 384/413 मु.न. 283 के किला न0 2 की 0.2530 हैक्टेयर 3 की 0.2530 हैक्टेयर 7/2 की 0.1270 हैक्टेयर किला न० 8 की 0.2530 हैक्टेयर की 0.2530 हैक्टेयर 10 की 0.2530 हैक्टेयर प.न. 0 मु0न0 371/128 के किला न0 0/2 की 0.1260 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर तथा इसी प्रकार से आराजी जरई खाता संख्या 39/45 के प.न. 392/408 मु0न0 165 के किला न0 16 की 0.2530 हैक्टेयर 17 की 0.2530 हैक्टेयर 18 की 0.2530 हैक्टेयर 19 की 0. 2530 हैक्टेयर 20 की 0.2530 हैक्टेयर 21 की 0.2530 हैक्टेयर 22 की 0.2530 हैक्टेयर 23 की 0. 2530 हैक्टेयर 24 की 0.2530 हैक्टेयर 25 की 0.2530 हैक्टेयर प.न. 393/408 मु.न. 166 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्टेयर 20 की 0.2530 हैक्टेयर प.न 385/413 मु0न0 263 के किला न० 4 की 0.2530 हैक्टेयर 5 की 0.2530 हैक्टेयर 6 की 0.2530 हैक्टेयर 7/1 की 0.1260 हैक्ट कुल तादादी 4.4270 हैक्टेयर वाके रोही मोजा चक 7 बारानी तहसील नोहर है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है तथा दादालाई सम्पति है तथा उक्त वादग्रस्तभूमि में वादिया ओलली 6/25 हिस्सा की तथा प्रतिवादी सं. 1 अकेला 6/25 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 6/25 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 6/25 हिस्सा की तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/25 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मगर वादग्रस्त भूमि हाल राजस्व में वादिया के पिता गोपालराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम गलत दर्ज है जिससे वादिया के खातेदारी हकुक का हनन होता है तथा वादिया अपने खातेदारी हकुक की घोषण करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा के मुताबिक मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है। तथा यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 1 के पिता गोपाल ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का बंटवारा करके 1/2 हिस्सा भूमि उत्तरदाता के नाम डिक्री करवा दी थी जिसकी आज तक अपील नही की गई है उक्त बंटवारा से वादीया व प्रतिवादी स0 2 ता 4 की सहमति थी। अगर सहमति नही होती तो उक्त निर्णय की अपील करते अत उक्त दावा चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया वाद भूमि वाद के अनुतोष की मद संख्या 11 यानि की मुताबिक अनुतोष के अनुसार हिस्सा कस्सी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ?

वादीया

2. आया वादीया प्रतिवादीगण संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बेच या अन्य प्रकार से मन्तकिल नही करे?

वादीया

3. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता [illegible] अपने जीवनकाल में सहमति से बटवारा किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि की [illegible] न्यायालय से करवाई जा चुकी है जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:28 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आदिनांक तक कोई अपील नहीं की गई है निर्णय आज भी प्रभावी होने के कारण वादीया किसी प्रकार की घोषणा न्यायालय से करवाने की अधिकारी नही है?

प्रतिवादी

4. आया वाद भूमि गोपाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हो चुकी है इसलिये वाद लाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज करवाने के अधिकारी है?.

5. दादरसी

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति पर्चा डिक्री ओमप्रकाश आदि बनाम गोपाल आदि निर्णय दिनांक 03.03.1994 ईएक्सडी–1, जमाबंदी रोही मौजा 7 बारानी खाता स0 87/87 ईएक्सडी–2 पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन के अवलोकन के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादीया का कथन है कि उक्त भूमि वादीया की दादालाई भूमि है वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि वादीया का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। प्रकरण स0 220/93 अनवानी ओमप्रकाश बनाम गोपाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 03.03.1994 को निर्णय व डिक्री किया गया है है उक्त प्रकरण में वादीया को पक्षकार ही नही बनाया गया है जबकि वादीया का भी उक्त भूमि में हिस्सा था वादीया द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 ने अपने अकेले के नाम भूमि दर्ज करवा ली अत उक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा 7 बारानी के खाता स0 87/77 की वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज हो चुकी है जबकि खाता स0 36/39 की भूमि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक भूमि है जबकि प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। तनकी न0 1 को वादीया सिद्ध करने में सफल रही है। अत तनकी न0 1 का निर्णक बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी स0 1 किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक है इसलिए उक्त भूमि में वादीया का भी जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है अगर प्रतिवादी स0 1 को उक्त भूमि रहन, बैय किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति वादीया को होगी अत वादीया प्रतिवादीगण को पाबंद करवा पाने की अधिकारी है। उक्त तनकी का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी स0 1 किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.1994 प्रकरण स0 220/93 की पालना में दर्ज हुई है। लेकिन उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी स0 2 ता 4 को पक्षकार ही नही बनाया गया है। उक्त वाद, वादीया द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया गया है एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त भूमि में वादीया का भीज न्मजात हक हिस्सा है वादीया अपने अधिकारों की घोषणा हेतु स्वतंत्र है अत उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी स0 1 बहक वादीया किया जाता है। अतः उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवा[illegible] जाता है।

तनकी नम्बर 4 :– यह तनकी [illegible] आधारित है जिसका निर्णय हो चुका है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों [illegible] 7 बारानी के खाता स0 87/77 की वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज हो चुकी है जबकि खाता स0 36/39 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:28 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीया का भी हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज है। अत रोही मौजा 7 बारानी के खाता स0 36/39 की भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है जबकि खाता 87/77 की भूमि विरासतन दर्ज हो चुकी है। अत उक्त तनकी का निर्णय आंशिक किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादीया आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 36/39 की कुल 4.4270 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:28 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 924/2019

अनवान : –

1. गीता पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर हाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीया

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. राधा पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. देवकी पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. सन्तो पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 924 सन 2019 निर्णय दिनांक 22/05/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 36/39 की कुल 4.4270 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:25:28 IST
Reason: SelfAttested